

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल सप्लाय युरेक्शन के विभाग की स्वीकृति स्थापित किया नहीं किया है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का डिम्ब (प्लास्टिक, लकड़ी, जर्बिस्टन या अन्य) छिपे जो किसी में निम्न का कोई उपकरणों नहीं होगा तथा न ही निम्न किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) जल सप्लाय विभाग जल प्रारम्भ करते ही आवेदक निम्न को सुविधा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकाश सिन्धु) केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पी+)  
आवासीय

आवेदन क्रमांक 467 दिनांक 21/01/2020  
 बाथी सिविल इंटर 510 की कार्यालय मल इंटर  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
 धारा 184 (2) (ग) के तहत आवासीय P-110-2/353 कॉम्प्लायन्स इंटर  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- जमा  
 जारिये रसीद संख्या 9069/438, 439  
 दिनांक 21/01/2020 को जमा करा दी है ।

21/01/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Rec by  
 21/01/2020  
 9001615611

